

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रार्थना पत्र सं. 52/2021	धारा अन्तर्गत 88.89	ग्राम कोयला	तहसील बारां
वादी राधा लाल	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी सरकार	

वकील :- गोविन्द सिंह **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

5/4/21 श्री गोविन्द सिंह ने वादीजग की ओर से वाद पत्र पेश किया। रिजोर्ड खिन्ना देखी गई कोई कमी नहीं है। दुई रिजोर्ड खिन्ना वाक्य अधिपक्ष को तालब किया जाए। पत्रावली वास्ते तालबी दि. 24/5/21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

24/5/21 गवारीन अधिद. गी. गोविन्द सिंह 19  
के पहले से पूर्ववत दिनांक 8/7/21  
को प्रस्तुत की

उपखण्ड अधिकारी

8-7-21 पत्रावली पेश हुई वकील नहीं उपा. जगदीश के  
समय का तालब जग काकड़ प्रमन के नामा.  
के उपा. नहीं है उनके खिन्ना एक नामा कार्यालय  
की जाय है पत्रावली का रिजोर्ड काकड़ नहीं रिजोर्ड  
27-8-21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
बारां

27/8/21 पत्रावली पेश हुई वकील नहीं उपा. लाल है  
समय वाक्य के नामा. लाल वादी दिनांक  
30/9/21 है पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी  
बारां

30-9-21 पत्रावली पेश हुई वकील नहीं व नाम नहीं उपा. नहीं है वकील  
वकील व नाम नहीं की वकील का उपा. लाल लाल नाम काकड़  
प्रमन के नामा. के उपा. नहीं है पत्रावली काकड़ उपा.  
काकड़ पेशी के खिन्ना खिन्ना जग है पत्रावली पेश  
उपा. लाल का नामा. लाल के दिनांक नामा. है

उपखण्ड अधिकारी  
बारां

